न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 46/2020 निर्णय दिनांक :–17.08.2020

उनवानी अपील :

1. कैलाशी पुत्री बदरीलाल जाति जाट निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राज0
2. रूकमणी पुत्री बदरीलाल जाति जाट निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राज0
3. संतरा पुत्री बदरीलाल जाति जाट निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राज0

–अपीलान्टस –

बनाम

1. राजाराम पुत्री बदरीलाल जाति जाट निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राज0
2. सूरजकरण पुत्री बदरीलाल जाति जाट निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राज0
3. लेखराज पुत्र बदरीलाल जाति जाट निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राज0
4. जानकी पत्नी बदरीलाल जाति जाट निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राज0
5. तहसीलदार दूनी जिला टोंक
6. ग्राम पंचायत दूनी जरिए सरपंच ग्राम पंचायत दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राज0

–रेस्पोडेन्ट –

उपस्थिति :–

श्री आलोक कुमार शर्मा
अधिवक्ता अपीलान्टस

एक पक्षीय कार्यवाही
विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 5 व 6

अपील विरूद्ध सरपंच ग्राम पंचायत दूनी दि. 05.03.2018 नामान्तकरण सं0 3684

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्टस एवं रेस्पोडेन्टस 1 ता 3 के पिता व रेस्पोडेन्ट संख्या 4 के पति बदरीलाल पुत्र नन्दा जाट निवाासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राज0 की खातेदारी व कब्जेकाश्त तक आराजी भूमि खाता संख्या 755 ख. नं. 3415 रकबा 0.

D.I.Q.O

0, ख. नं. 3416 रकबा 0.06 है0, ख. नं. 3461 रकबा 0.42 है0, ख. नं. 3465 रकबा 0.29 है0, ख. नं. 3982 रकबा 1.35 है0, ख. नं. 3984/5821 रकबा 0.75 है0, ख. नं. 4031 रकबा 0.34 है0, ख. नं. 4971 रकबा 1.95 है0, कुल किता 8 कुल रकबा 5.22 है0 में 1/2 हिस्सा व खाता संख्या 1382 ख. नं. 2868 रकबा 0.07 है0, ख. नं. 3005 रकबा 1.05 है0, ख. नं. 3462 रकबा 0.10 है0, ख. नं. 3463 रकबा 0.01 है0, ख. नं. 4189 रकबा 5.58 है0, ख. नं. 4192 रकबा 0.11 है0, ख. नं. 5062 रकबा 0.18 है0, ख. नं. 5065 रकबा 4.94 है0, कुल किता 8 कुल रकबा 12.04 हे0 में 1/4 हिस्सा वाके ग्राम दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राज0 में स्थित है। अपीलांटस एवं रेस्पोडेन्ट 1 ता 3 के पिता व रेस्पोडेंट संख्या 4 के पति बदरीलाल पुत्र नन्दा जाट की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिसान अपीलांटस एवं रेस्पोडेंटस 1 ता 3 कि पिता व रेस्पोडेंट संख्या 4 के पति बदरीलाल की मृत्यु के बाद उनका फोती का नामान्तकरण संख्या 3684 दिनांक 05.03.2018 अपीलांटस संख्या 1 का नाम केलास, अपीलांटस संख्या 2 का नाम कोसल्या एवं अपीलांटस संख्या 3 का नाम सुमित्रा अंकित कर दिया गया जो पूर्ण रूप से गलत है जबकि अपीलांटस का वास्तविक नाम कैलाशी, रूकमणी व संतरा है। केलास, कोसल्या व सुनिता नाम की पुत्री बदरीलाल के नहीं है। अपीलांटस का नाम नामांतकरण में गलत अंकित किया है जिससे उत्पीड़ित होकर यह अपील के कारण इस प्रकार पेश है:– 1. अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत दूनी का आदेश विधि विधान तथा तथ्यो के विपरीत है इस कारण से निरस्त किये जाने येाग्य है। 2. सरपंच ग्राम पंचायत दूनी ने भरने से पूर्व मौके पर जाकर मृतक बदरीलाल के वारिसान के नाम बाबत कोई जांच नही की और ना ही आस पास के पडोसियों के बयान लिये गये इसके कारण उक्त नामांतकरण निरस्त किये जाने योग्य है। 3. मृतक बदरीलाल की मृत्यु के बाद ग्राम पंचायत दूनी ने नामांतकरण तस्दीक करने से पूर्व अपीलांट से नाम संबंधी कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं किये तथा रेस्पोडेन्ट 1 ता 4 से मिली भगत कर अपीलांटस का

लाशी, रूकमणी व संतरा है जो मृतक बदरीलाल की पुत्रियां है इस बात पर अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान नहीं देकर कानूनी भूल की है। दिनांक 20.02.2020 को जब अपीलांटस ने हल्का पटवारी से उक्त आराजीयात की नकले प्राप्त की तब जानकारी हुई कि उनका नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत अंकित हो गया है इस पर अपीलांट ने वकील से सलाह लेकर जानकारी की। दिनांक से अन्दर मियाद प्रस्तुत कर दी हैं

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी जारी की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 स्वयं उपस्थित होकर इकबालिया जवाब पेश किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 5 ता 6 के विरूद्ध एकपंक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट श्री आलोक कुमार शर्मा से बहस सुनी।

बहस में अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यो को दोहराया। तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 ने जवाब को ही बहस बताकर रिमाण्ड हेतु सहमति दी।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन व अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज नामान्तकरण रजिस्टर ग्राम दूनी नामान्तकरण संख्या 3684 दिनांक 05.03.2018 जिसमे बदरीलाल के फौत होने पर नामान्तकरण राजाराम, सूरजकरण, लेखराज पुत्र बदरीलाल कैलाश, कौशल्या, सुमित्रा पुत्रियां बदरीलाल व जानकी नाम नामान्तकरण खोला गया जिससे जमाबन्दी सम्वत 2073–76 में उक्त सभी के नाम खातेदारी दर्ज हुई है। पत्रावली पर उपलब्ध सरकारी दस्तावेज आधार कार्ड में कैलाशी देवी, संतरा व रूकमणी अंकित है। उक्त से स्पष्ट है कि उक्त नामान्तकरण बिना जांच किये भरकर पेश किया गया है जो कानून सम्मत नहीं है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार योग्य है। उक्त बहस, दस्तावेजो से यह तथ्य सामने आते है कि ग्राम पंचायत दूनी द्वारा भरे गये नामान्तकरण की जांच की जाकर सही फौती नामान्तकरण तस्दीक करना आवश्यक

... ग्राम पंचायत दूनी द्वारा तस्दीक किये गये नामान्तकरण, सं0 3684 दि. 05. ..2018 को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार दूनी को यह नामान्तकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उक्त फौती नामान्तकरण के विधिक वारिसान के नामों की सही जांच कर नामान्तकरण तस्दीक कर रिपोर्ट 15 दिवस में न्यायालय को प्रेषित करे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
देवली